



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)  
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)  
**GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)**  
(A Central University established by the Central University Act, 2009 No. 25 of 2009  
Web Site-www.ggu. Ac. In,ph. No. 260021, Fax No. 07752-260148,154)

क्रमांक 153 / अका0 / 2015

बिलासपुर, दिनांक 19/3/15

प्रति,

विभागाध्यक्ष,  
राजनीतिशास्त्र विभाग,  
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,  
बिलासपुर (छ0ग0)

विषय:- विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 के विषय क्रं0-01 में लिये गये निर्णय अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के संबंध में ।

महोदया,

विषयांतर्गत विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2015 के विषय क्रं0-01 के अंतर्गत आपके विभाग के प्रस्ताव अनुसार समिति ने निर्णय लिया है कि- शैक्षणिक सत्र 2015-16 से एम.ए- लोक प्रशासन पाठ्यक्रम के अध्यापन कार्य को स्थगित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कृपया उपरोक्त निर्णयानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

आदेशानुसार,

कुलसचिव(कार्यवाहक)

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति जी के सचिव को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
  2. अधिष्ठाता, अध्ययनशाला समाज विज्ञान की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
  3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
  4. समस्त विभागाध्यक्ष, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
  5. परीक्षा नियंत्रक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
  6. विभागाध्यक्ष, संगणक विभाग को इस आशय के साथ प्रेषित है कि विश्वविद्यालय की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
- उप-कुलसचिव परीक्षा एवं सहा.कुल सचिव गोप./प्रशासन विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप-कुलसचिव (अका.)

CS17/270  
20/3/15

20/3/15